न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर, जिला–बाड़मेर

10/06/2026 पीठासीन अधिकारी :– राम लाल मीणा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या –109/2026

1.जोगाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी अर्जुनकेशरानी तहसील रामसर जिला बाडमेर	बनाम
विप्रार्थी	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामसर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती करवाने बाबत्।

उपस्थित :–

1. प्रार्थी वकील एंव प्रार्थी स्वंय उपस्थित

:: आदेश ::–

दिनांक :–.09.06.2026

संक्षेप में आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार गोदारा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता वास्ते तरमीम दुरस्त करवानें बाबत दिनांक 01.06.2026 को इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया हैं कि तहसील रामसर पटवार मण्डल गंगाला के ग्राम अजुर्जनकेशरानी के खसरा नंबर 519/379 रकबा क्रमशः 6.0441 हैक्टेयर में प्रार्थी की रहवासी ढाणी अवस्थित एंव कब्जा काश्त हैं । उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता देवा के नाम संयुक्त खातेदारी थी। जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के वाद संख्या 113/1962 बअनवान भाना बनाम देवा में निर्णय दिनांक 03.02.1966 को पारित किया गया था। उक्त निर्णय के अनुसार नक्शा लटठा ट्रेश में तरमीम कर दी गई थी। उसी अनुसार निरन्तर मौके पर प्रार्थी का भौतिक रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जबकि तहसीलदार एंव अधिनस्थ कर्मचारियों के द्वारा वक्त सेग्रीग्रेशन एंव जमाबंदीं नक्शा ऑनलाईन करते समय नक्शा लटठा ट्रेश अनुसार तरमीम नही करते हुये गलत तरमीम कर दी गई जिससे खसरा नंबर 519/379 रकबा क्रमशः 6.0441 हैक्टेयर की भूमि की मौके एंव रेकर्ड में भारी भिन्नता आ गयी जिसकी तरमीम सही नही होनें के कारण प्रार्थी वकील श्री रविन्द्र कुमार गोदारा द्वारा तरमीम दुरस्ती के लिये इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरस्त के लिये प्रस्तुत किया गया। जिसे दिनांक 01.06.2026 को दर्ज रजिस्टर कर इस न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/2026 /987 दिनांक 01.06.2026 के द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 109/2026 अन्तर्गत धारा 131,136 बअनवान जोगाराम बनाम तहसीलदार रामसर में मौका रिर्पोट के लिये लिखा गया तहसीलदार रामसर के पत्रांक क्रमांक /कोर्ट/मौका रिर्पोट/2026/1872 दिनांक 09.06.2026 का दिनांक 09.06.2026 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ । तहसीलदार रामसर से प्राप्त रिर्पोट तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार रामसर से मौका रिर्पोट पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों पर बहस सुनी गई। बहस, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजों एंव तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिर्पोट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से होती हैं तहसीलदार रामसर द्वारा सलग्न परिशष्ट "ब" अनुसार नक्शे में शुद्वि किये जानें की अनुशंषा करनें पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने में इस न्यायालय को कोई आपत्ति जाहिर नहीं होती हैं ।

प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील रामसर पटवार मण्डल गंगाला के ग्राम अर्जूनकेशरानी के खसरा नंबर 519/379 रकबा क्रमशः 6.0441 हैक्टेयर भूमि की तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा **परिशिष्ट "अ "** के अनुसार तहसीलदार रामसर को राजस्व रेकर्ड में वर्तमान की तरमीम को निरस्त करते हुये **परिशिष्ट "ब अनुसार** राजस्व रेकर्ड में तहसील रामसर पटवार मण्डल गंगाला के ग्राम अर्जूनकेशरानी के खसरा नंबर 519/379 रकबा क्रमशः 6.0441 हैक्टेयर अनुसार **परिशिष्ट "ब अनुसार** तरमीम दुरस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा **परिशिष्ट "ब "**इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक **09.06.2026** को सरे ईजलाश में सुनाया जाकर एंव न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner